6-1-18 वकील प्रार्थी के निवेदन पर
पत्रावली अग्रिम विशेष पर ली जावे। वकील
प्रार्थी नय प्रार्थी ने रद्द किया कर
निवेदन किया की रम पत्रावली का
नया शामिलात चौ चुका है इसलिये
प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते
इसलिये मेरी विशेष जानीब किया जावे
नया वकील प्रार्थी की उक्त रद्द
स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी का
उक्त प्रार्थना पत्र विशेष जानीब किया
जाकर पत्रावली रजिस्टर शुमार बेअसर
बाद जाकर दाखिल दफ्तर हो।

अंगूठा निशान

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

Scanned by CamScanner